

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़  
आदेश पत्रक

सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या-38/2023

राज्य बनाम् दिपक करमाली उर्फ नैपाली

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

18.07.2023

-:: आदेश ::-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक-173/डी०सी०बी०, दिनांक-24.04.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी दिपक करमाली उर्फ नैपाली, पे०-मनपुरन करमाली, सा०-हेसला, थाना-पतरातू जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। लेकिन कुख्यात अपराधकर्मी के द्वारा नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय द्वारा उनको अनके बार मौका दिया गया। इसके बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए Ex parti आदेश पारित किया जा रहा है। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या-162/2015, दिनांक-29.07.2015, धारा-387/307/452/34 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
2. पतरातू थाना काण्ड संख्या-245/2015, दिनांक-14.10.2015, धारा-385/387/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
3. पतरातू थाना काण्ड संख्या-245/2016, दिनांक-14.10.2016, धारा-385/387/427/34 भा०द०वि०, 27 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।
4. पतरातू थाना काण्ड संख्या-240/2015, दिनांक-12.10.2015, धारा-4/5 फिस्फोट पदार्थ अधि०, 17 सी०एल०ए० एक्ट।
5. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-314/2015, दिनांक-26.08.2015, धारा-399/402 भा०द०वि० 25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सी०एल०ए० एक्ट।

6. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-294/2019, दिनांक-15.11.2019, धारा-307/504/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
7. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-297/2019, दिनांक-15.11.2019, धारा-25(1-बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट।
8. बासल थाना काण्ड संख्या-26/2015, दिनांक-30.12.2015, धारा-385/387/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।
9. रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-270/2017, दिनांक-19.08.2017, धारा-457/380/411 भा०द०वि०।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशांसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी दिपक करमाली उर्फ नैपाली, पे०-मनपुरन करमाली, सा०-हेसला, थाना-पतरातू जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अपराधकर्मी को अगामी 06 (छः) महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजरी लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल से लागु समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

शाश्वती सिन्हा

18.7.23  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
रामगढ़।